



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ()/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/52

दिनांक : 10.12.2015

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2015-16 के बिन्दु संख्या 121 आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन (भामाशाह योजना की गाईडलाइन के अनुसार) करने हेतु कुल राशि रुपये 400.00 लाख (अक्षरे रुपये चार सौ लाख मात्र) की स्वीकृति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निम्नानुसार एतद् द्वारा जारी की जाती है।

क्र. सं.	जिले	राशि (रु लाखों में)
1	अजमेर	11.28
2	अलवर	20.48
3	बांसवाडा	13.84
4	बांरा	8.84
5	बाठमेर	19.56
6	भरतपुर	14.96
7	भीलवाडा	15.36
8	बीकानेर	11.60
9	बूंदी	7.32
10	चित्तौडगढ	11.60
11	चुरू	10.16
12	दौसा	9.36
13	धीलपुर	6.84
14	डुंगरपुर	11.64
15	गंगानगर	13.44
16	हनुमानगढ	10.04
17	जयपुर प्रथम	11.40
18	जयपुर द्वितीय	9.88
19	जैसलमेर	5.60
20	जालौर	10.96
21	झालावाड	10.08
22	झुंझुनू	12.04
23	जोधपुर	18.64
24	कसौली	9.08
25	कोटा	6.20
26	नागौर	18.68
27	पाली	12.84
28	प्रतापगढ	6.60
29	राजसमंद	8.28
30	सवाई माधोपुर	8.00
31	सीकर	13.72
32	सिरोही	6.48

कुमशः


33	टोंक	9.20
34	उदयपुर	26.0
	कुल योग	400.00

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के बिन्दु संख्या 121- आरोग्य राजस्थान की कार्य योजना की क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग द्वारा आयोजना मद के बजट मद 2210-01-001-(01)-29 में उक्त बजट राशि स्वीकृत की गई है।

आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्वास्थ्य कैंप दिनांक 15.12.2015 से 31.03.2016 तक आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक स्वास्थ्य कैंप के आयोजन हेतु विभाग द्वारा राशि रुपये 5000/- (अक्षरे रुपये पाँच हजार मात्र) बजट स्वीकृत किया गया है। बजट व्यय केवल स्वास्थ्य कैंप के आयोजन पर ही नियमानुसार किया जाना है। जिसमें टेन्ट, दरी, टेबल मय कवर, कुर्सी, पानी की टंकी, जग, पानी का टैंकर, स्वास्थ्य कैंप बैनर आदि सम्मिलित हैं।

वित्त विभाग के निर्देशानुसार घोषणा की क्रियान्विति आरटीपीपी एक्ट 2012 के प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुये वास्तविक आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम व्यय, निर्धारित प्रयोजनार्थ किया जाना सुनिश्चित करे। आरोग्य राजस्थान योजना की ऑडिट से सम्बन्धित कार्य वित्तीय सलाहकार (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य) मुख्यालय द्वारा करवाई जावेगी। अन्य सूचनार्यें (आरटीआई/विधानसभा) मांगी जाने पर निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।


समस्त जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि उक्त राशि वर्ष 2015-16 में व्यय की जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य स्तर पर तुरन्त भिजवावें।


5 (डॉ. वी.के. माथुर)
निदेशक (आरसीएच एवं प.क.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, ~~प्रमुख शासन सचिव~~, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. ।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चि., स्वा. एवं प. क. एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) निदेशक (आई. ई. सी.) एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
4. निदेशक (जन स्वा.) ।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण को भेजकर लेख है कि राशि रुपये 400.00 लाख (अक्षरे रुपये चार सौ लाख मात्र) पीडी खाते से आहरित कर उपरोक्तानुसार जिलों को तुरन्त भिजवाये।
8. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय।
9. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प.क.) मुख्यालय
10. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान ।
11. स्टेट नोडल अधिकारी, आरोग्य राजस्थान, मुख्यालय जयपुर।
12. सर्वर रूम।

arogya.rajasthan@gmail.com


निदेशक (आरसीएच एवं प.क.)